## 1

## <u>न्यायालय—ए०के०गुप्ता,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला</u> भिण्ड (म०प्र०)

आपराधिक प्रक0क्र0-49 / 17

संस्थित दिनाँक-06.02.17

## \_<u>=: निर्णय ::—</u> {आज दिनांक 15.06.18 को घोषित}

अभियुक्त पर विस्फोटक अधिनियम 1884 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 ख सहपिवत धारा 5 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 20.10.16 को दोपहर एक बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र गोहद अंतर्गत राईस मिल के सामने अपने घर में ज्ञान युक्त आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के बारूद से हाथ से निर्मित पटाखे निर्माण एवं कब्जे में रखे।

- 2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 20.10.16 को थाना गोहद में पदस्थ उपनिरीक्षक एन0एल0 शाक्य थाना प्रभारी के साथ कस्बा भ्रमण हेतु गोलंबर तिराहा पर उपस्थित थे। उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि राईस मिल के सामने आदिल खां अपने घर पर पटाखे बना रहा है। उक्त सूचना पर खाना होकर मुखबिर के बताए स्थान पर आदिल खां के निवास पर पहुंचे तो वहां अभियुक्त हाथ से बारूद के पटाखों का निर्माण कर रहा था। उससे बारूद रखने के संबंध में लायसेंस चाहा गया तो लायसेंस न होना बताया। अभियुक्त से उक्त पटाखे व बारूद जब्तकर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाए गए। थाने पर आकर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान कथन लेखबद्ध किए गए। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।
- 3. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूंटा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.10.16 को दोपहर एक बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र गोहद अंतर्गत राईस मिल के सामने अपने घर में ज्ञान युक्त आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के बारूद से हाथ से निर्मित पटाखे निर्माण एवं कब्जे में रखे ?

## <u>—ः: सकारण निष्कर्ष ः:–</u>

- 5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में राजू श्रीवास अ०सा० 1, भूरालाल जामले अ०सा० 2, एन०एल० शाक्य अ०सा० 3 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी है।
- 6. जब्तीकर्ता एन०एल० शाक्य अ०सा० 3 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि वे दिनांक 20.10.15 को थाना गोहद में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी गौतम के साथ आरक्षक भूरा एवं आरक्षक चालक के साथ करना गश्त हेतु शासकीय वाहन से रवाना हुए थे। बस स्टैण्ड, सदर बाजार, गंज बाजार गश्त करते हुए गोलंबर पर पहुंचे तभी थाना प्रभारी को मोबाईल पर जर्ये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि राईस मिल के सामने अभियुक्त अपने घर में पटाखे बेचने के लिए रखे है एवं बना रहा है। सूचना से उन्हें अवगत कराया गया। रास्ते में साक्षी राजू मिला जिसे अवगत कराया। मुखबिर के बताए स्थान अभियुक्त आदिल के घर पहुंचकर देखा तो दो प्लास्टिक की बोरी रखे था जिनमें चैक करने पर एक बोरी में लाल, पीले, हरे दीवाल पटाखे और एक बोरी में मुर्गाछाप एवं काशीराम पटाखे थे जो करीब आधी बोरी थे। उक्त पटाखों को जब्त कर जब्ती पत्रक प्रणीण 1 बनाए जाने जिस पर अपने सी से सी भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं। अभियुक्त को गिर० कर गिर० पत्रक प्रणीण 2 बनाए जाने, उस पर भी अपने सी से सी भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं। रोजनामचा सान्हा प्रणीण 4 एवं 5 के रूप में बताकर उन पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। अभियुक्त के विरुद्ध थाने पर अप०क० 306/16 की प्राथमिकी लेखकर उस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं।
- 7. प्रकरण में कथित जब्ती का साक्षी राजू श्रीवास अ०सा० 1 एवं भूरालाल जामले अ०सा० 2 हैं। राजू श्रीवास अ०सा० 1 अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं करता है। यद्यपि प्रपी० 1 व 2 पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताता है। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में कथन करता है कि वह थाने पर किसी काम से गया था तो पुलिस ने कोरे कागजों पर उसके हस्ताक्षर करा लिए थे। एन०एल० शाक्य अ०सा० 3 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार करते हैं कि राजू श्रीवास नगर रक्षा समिति में सदस्य है। इस प्रकार से उक्त साक्षी की अभिसाक्ष्य का अभियोजन पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। अन्य साक्षी भूरालाल अ०सा० 2 हैं जो उक्त दिनांक को थाना गोहद में आरक्षक के रूप में पदस्थ होने का कथन करते हुए थाना प्रभारी एवं उपनिरीक्षक एन०एल० शाक्य के

साथ जाने एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर राईस मिल के सामने अभियुक्त के घर से पटाखे बोरियों में जब्त करने का कथन करते हैं। प्र०पी० 1 व 2 पर साक्षी अपने बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं।

- 8. अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है इस कारण से अभियोजन का मामला उसके विरूद्ध प्रमाणित नहीं हैं। प्रकरण में अभिलेख पर यह तथ्य अवश्य है कि जिस राजू श्रीवास अ०सा० 1 को स्वतंत्र साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया है वह नगर रक्षा समिति का सदस्य होकर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर करना बताता है। उक्त साक्षी पुलिस द्वारा उसके समक्ष कोई भी कार्यवाही करने से इंकार करता है। प्रकरण में इस प्रकार से अभियोजन का मामला जब्तीकर्ता एन०एल० शाक्य एवं भूरालाल अ०सा० 2 के कथनों पर निर्भर हो जाता है। ऐसा साक्ष्य का कोई नियम नहीं हैं कि पुलिस साक्षी की साक्ष्य सदैव संदेह की दृष्टि से देखा जाए, बल्कि पुलिस साक्षी को भी अन्य साधारण साक्षी की भांति ही परस्पर संपुष्टि एवं दस्तावेजों के आधार पर विधिवत कार्यवाही से समर्थित होने पर विश्वसनीय हो सकता है।
- 9. प्रकरण में जब्तीकर्ता एन०एल० शाक्य अ०सा० 3 अपने अभिसाक्ष्य में यह बताते है कि वे थाने से 11:30 बजे निकले थे, यही तथ्य भूरालाल अ०सा० 2 भी बताते हैं। यद्यपि प्र०पी० 4 की रवानगी दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत है। प्रकरण में एन०एल० शाक्य यह बताते हैं कि अभियुक्त के मकान का दरवाजा पूर्व दिशा की ओर है और अभियुक्त का मकान कच्चा है। यही कथन भूरालाल अ०सा० 2 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में किया है। एन०एल० शाक्य अ०सा० 3 कथन करते हैं कि कार्यवाही के समय जनता का कोई व्यक्ति मौके पर नहीं आया था। उनके द्वारा यद्यपि मकान तलाशी के लिए कोई पंचनामा बनाए जाने के संबंध में इंकार किया है, किन्तु अभिकथित पंचनामा बनाने की अनिवार्यता से भी इंकार किया है। अभियुक्त से जब्तशुदा पटाखों की संख्या के संबंध में उभय साक्षी गण बताने में अस्मर्थ रहे हैं, किन्तु दोनों ने बोरियों में पटाखे भरे होने के संबंध में कथन किया है। चूंकि पटाखे ज्यादा संख्या में बताए गए हैं इस कारण से उनकी निश्चित संख्या न बताना अभियोजन के मामले को दूषित नहीं कर देता है।
- 10. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभिकथित जब्तशुदा संपत्ति पर कोई नमूना सील अंकित किए जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है। नमूना सील के संबंध में एन०एल० शाक्य अ०सा० 3 कण्डिका 3 में स्वीकार करते हैं कि जब्ती पत्रक के कॉलम नं0 13 में नमूना सील अंकित नहीं हैं। प्रकरण में एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान देने योग्य है जहां प्राथमिकी प्रपी0 6 के अनुसार अभियुक्त को पटाखे बनाते हुए पाए जाने एवं उससे जब्ती पत्रक प्र0पी0 1 के अनुसार 50 ग्राम खुली बारूद जब्त किए जाने के संबंध में तथ्य लेख किया गया है,

किन्तु अभियोजन का कोई भी साक्षी अभियुक्त के द्वारा हाथों से पटाखों का निर्माण करते हुए पाए जाने और अभिकथित पटाखों को निर्माण करने की कोई बारूद जब्त किए जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं करते हैं। जहां तक पटाखों का प्रश्न हैं, पटाखे इस प्रकार की संपत्ति हैं जो कि आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाती हैं, ऐसी दशा में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध के संबंध में स्वतंत्र साक्ष्य का अभाव व राजू अ०सा० 1 को स्वतंत्र साक्षी के रूप में दर्शाने का प्रयास अभियोजन के मामले को संदिग्ध बना रहा है।

- 11. प्रकरण में जहां एक ओर जब्दीकर्ता एन०एल० शाक्य अ०सा० 3 जनता का कोई भी व्यक्ति मौके पर न आना बताते हैं, वहीं भूरालाल अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में अभिकथित जब्दी स्थल पर मौहल्ले के कितने लोग इकट्ठे हो गए, यह बताने में अस्मर्थ हैं। भूरालाल अ०सा० 2 प्रतिपरीक्षण की किण्डका 3 में यह कथन करते हैं कि अभियुक्त के घर में उसके अलावा महिलाए भी मौजूद थीं। अभिकथित जब्दी स्थल अभियुक्त के घर के अंदर बताया गया है, किन्तु जब्दी सील पर कोई तलाशी पंचनामा नहीं बनाया गया, न हीं इस बात के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य है कि अभिकथित पटाखे की बोरियां अभियुक्त द्वारा ही अभिकथित स्थान पर रखी गयी थीं। इस प्रकार से प्रकरण में अनन्यतः अभियुक्त के आधिपत्य में एवं उसके द्वारा अभिकथित पटाखों के विनिर्माण के संबंध में विश्वनीय व तर्क पूर्ण साक्ष्य अभियोजन के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर समर्थित रूप से प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रकरण में अमिकथित जब्दाशुदा संपत्ति को घटनास्थल पर सीलबंद किए जाने के संबंध में प्र0पी० 1 के जब्दी पत्रक में सर्वप्रथम तो नमूना सील का अभाव है और न हीं उस पर सीलबंद करने की कोई टीप अंकित है। इसके अतिरिक्त उक्त संपत्ति को आरक्षी केन्द्र के संबंधित मालखाने में जमा किए जाने का उल्लेख अभियोगपत्र में अवश्य किया गया है, किन्तु किस मालखाना क्रमांक पर संपत्ति जमा की गयी, इसके संबंध में अभिलेख पर संपूर्ण अभियोगपत्र में अभाव है। इस प्रकार से कथित जब्दाशुदा पटाखों के संबंध में उनकी संख्या एवं मात्रा की अनन्यता प्रमाणित नहीं हैं।
- 12. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है ऐसे में अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 20.10.16 को दोपहर एक बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र गोहद अंतर्गत राईस मिल के सामने अपने घर में ज्ञान युक्त आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के बारूद से हाथ से

निर्मित पटाखे निर्माण एवं कब्जे में रखे। फलतः अभियुक्त को अधिनियम की धारा 9 ख सहपठित धारा 5 के अधीन दोषमुक्त किया जाता है।

- 13. अभियुक्त की जमानत भारहीन की गयी, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेंगे।
- 14. प्रकरण में जब्तशुदा पटाखे अपील अविध पश्चात् नष्ट किए जावे। अपील होने की दशा में मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।
- **15.** अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में धारा 428 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया । मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

